National Journal of
Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177
NJHSR 2016; 1(5): 12-13
© 2016 NJHSR
www.sanskritarticle.com
Received: 15-03-2016
Accepted: 16-03-2016

विजय कुमार
पीएच॰ डी॰, शोध छात्र,
हिन्दी विभाग, जम्मूविश्वविद्यालय,
जम्मू ।

Correspondence:
विजय कुमार
पीएच॰ डी॰, शोध छात्र,
हिन्दी विभाग, जम्मूविश्वविद्यालय,
जम्मू ।

स्त्री के नृषंस उत्पीड़न का दस्तावेज़:‘ किस्सा हवेली ’

विजय कुमार

भारत में स्त्रियों का इतिहास भले ही गौरवशाली रहा हो, उन्हें संविधान में भले ही पुरुषों की तरह सभी अधिकार दे दिए गए हों, लेकिन आम भारतीय स्त्री आज भी पूरुष की दास्ता से मुक्त नहीं हुई है। इसका कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो पितृसत्ता पर टिकी हुई है। जिसमें स्त्री की अधीनस्था सर्वविदित है। हृदयेश ने ‘किस्सा हवेली’ उपन्यास में इसी पितृसत्तात्मक समाज को आड़े हाथों लिया है। उपन्यास में वर्णित हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत भर नहीं है। जिसे समय के साथ टूटना ही है। यह हवेली समूची भारतीय समाज व्यवस्था और संरचना का एक अर्थपूर्ण प्रतीक है। इस हवेली की तरह हमारी सामाजिक सरंचना भी पितृसत्ता पर पली-बड़ी व्यवस्था रही है जो स्त्री के नृशंस उत्पीड़न से ही अपने अस्तित्व के लिए हवा-पानी जुटाती रही है। हृदयेश ने उपन्यास के माध्यम से महिलाओं की पीड़ा एवं शोषण को बड़े ही सशक्त ढंग से व्यक्त किया है।

भारत में महिला उत्पीड़न घर से ही शुरू हो जाती है। पहले तो भ्रूण-हत्या के माध्यम से वे माँ की कोख में ही हिंसा की शिकार हो जाती हैं। जिसके प्रति लेडी डॉक्टर जैसे बुद्धिजीवियों की चिन्ता विचारणीय है - “ अब जब बिना सोचे-समझे हुए बच्चा पेट में डाल लेती हो तो उसे जन्म दो। लड़कियाँ लड़कों से कम किस मायने में होती हैं? मेरी एक बहन डिग्री कॉलेज की प्रिंसीपल है। मैं डाक्टर हूँ। इन्दिरा गाँधी तो देश की प्राईम मिनिस्टर बनी और दूसरे पुरुष प्राईम मिनिस्टरों की तुलना मे इक्कीस नहीं, बाईस बल्कि चैबीस थीं। आप हैं एनेमिक। बार-बार एबार्शन कराना खतरनाक हो सकता है आपके लिए।” पृ॰ 51

कोख से निकलकर यदि गोद में आ भी गई तो अनेक मामलों में माँ का आँचल उन्हें पूरी तरह सुरक्षा नहीं दे पाता। वे घर पर ही खान-पान, रहन-सहन, शिक्षा और चिकित्सा के मामले में लैंगिक भेदभाव का शिकार होती हैं। जिसके चलते कई बालिका शिशुओं की जिन्दगी दाँव पर लग जाती है। जिसे लेखक ने उपन्यास में पार्वती के माध्यम से दिखाया है- “ मुन्ना छाती से चिपटता तो हटाये नहीं हटता, मुन्नी बेचारी भूखी रह जाती है। पति कहते कि इसे मालूम है नर बनकर आया हूँ, उसके विशेष अधिकार हैं, परिवार का वारिस वही बनेगा। तीन महीने हो गये थे। दोनों बच्चे मुस्कराने लगे थे। यह खुलकर मुस्कराता था जबकि लड़की दबे-दबे, ओंठ टेढ़ा कर। दोनों को एक साथ बुखार आ गया था। पति एक होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा लाये थे। शीशी खोलते ही दवा गिर गयी थी। जो बची थी उसमें से एक खुराक लड़की को दे दी गयी, बाकी लड़के के लिए रोक ली गयी। रात का वक्त था। सोचा गया कि अगले दिन दवा फिर आ जायेगी। अगला दिन आ नहीं पाया था कि लड़की भगवान को प्यारी हो गयी।” पृ॰ 11

महिला उत्पीड़न का यह दायरा केवल भेदभाव तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बालिका शिशु हत्या जैसे कुकृत्य भी देखने को मिलते हैं। लेखक बुआ के माध्यम से इस पुरुषोचित अहंकार का पर्दाफाश करते हैं - “ जो मर्द अपनी संतान की रक्षा न कर सके, उसे संतान पैदा करने का कोई हक नहीं है। क्या पता कोख से फिर छोरी निकले। इस घर में छोरी फिर आयी तो किसी बहाने से उसकी फिर हत्या कर दी जायेगी।” पृ॰ 112

रूढ़ परम्पराओं तथा अन्धविश्वासों के कारण भी महिलाएँ उपेक्षित एवं उत्पीड़न की शिकार होती हैं। स्त्रियों की इसी रूढिवादी मानसिकता पर लेखक लक्ष्मी के माध्यम से चोट करते हैं। लक्ष्मी अपने को सच्ची पतिव्रता साबित करने के लिए पति के जख्म को चाटती है। लेखक के शब्दों में - “ छाजन चाटने की स्वीकृति देते हुए उसे कोई खास हिचक या असहजता महसूस नहीं हुई थी। वह एक नारी थी जो दासी का पर्याय होती है। उसका लोक परलोक सब अपने स्वामी से नाभि-नाल की भांति जुड़ा था। एक स्त्री से संबंधित धर्म, संस्कृति, जातीय स्मृति और इतिहास में विन्यस्त नाना आख्यान एवं मिथक उसके चेतन, अवचेतन में पालथी मार कर बैठे हुए थे। कारण केवल यही नहीं, एक अन्य भी। अपने को सच्ची पतिव्रता साबित करने का उसके पास स्वयं चल कर आया यह एक अवसर था।” पृ॰ 235

वर्तमान समय में महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित अनेक आंकड़े समाचार पत्रों आदि में देखने कोमिलते हैं। जो स्त्रियों के प्रति समाज में बढ़ती अमानवीय प्रवृति का खुलासा करते हैं। पुनर्विवाह, बच्चा पैदा कर की असमर्थता संपत्ति या अपर्याप्त दहेज आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण आज भी भारतीय स्त्री पति, ससुराल वालों तथा रिश्तेदारों द्वारा की दी जाने वाली मानसिक प्रताड़नाओं की शिकार होती है। पुरुषों की इस स्वार्थी प्रवृति को लेखक उपन्यास में सुभद्रा के माध्यम से बेनकाब करते हैं। अपर्याप्त दहेज के कारण सुभद्रा की ससुराल में प्रताड़ना शुरू हो जाती है। उपन्यास में एक दृश्य देखिए- "तोरे बप्पा ने तोरे ब्याह मा मन, दुइमन सोना-चाँदी तो लाद नाही दओ थो जो गौना मा धोखा-धड़ी की सोची। ई जानत होतो की बप्पा धोखेबाज़ है तो रिसतो कभई कबूल करतो। मोहे धोखेबाज़ आदमी से सख्त घिना है।" पृ॰ 104

महिलाएं मुख्यता मानसिक उत्पीड़न के साथ-साथ शारीरिक एवं आर्थिक रूप से भी शोषण का शिकार होती हैं। महिलाएं घर-परिवार, परिचित- अपरिचित स्थान पर, बाहर-भीतर कहीं भी हिंसा का शिकार हो सकती हैं। आमतौर पर घर में महिलाएं बिना दोष के पति द्वारा पीटी जाती हैं। उपन्यास की सावित्री ऐसी ही स्त्री है। उसका पति उस पर सन्देह करता हैं। जिसके चलते उसकी रोज़ पिटाई होती है। यहाँ तक कि अगर वह सपने में भी कुछ बड़बड़ाती है तो भी पति द्वारा पीटी जाती है। उदाहरणस्वरूप - " कुतिया, मुझे गाली दे रही है? अपनी मर्दानगी तुझे अभी दिखता हूँ। ले देख। तुझे मार डालूंगा... मार डालूंगा।" पृ॰ 315

स्त्रियों मे विरूद्ध हिंसा के मामलों में सबसे जघन्य अपराध-बलात्कार केवल घरेलू हिंसा के दौरान ही नहीं होंता, बल्कि कार्य स्थलों, पुलिस थानों, खेत-खिलहानों, अस्पतालों में भी होता है। यहाँ तक कि अब शिक्षण-संस्थान तथा मंदिर जैसे पवित्र स्थल भी इससे अछूते नहीं हैं। इस हिंसा का शिकार शरीर होता है लेकिन आत्मा भी इससे सदा के लिए अभिशप्त हो जाती है। बलात्कार की सम्भावना तब और बढ़ जाती है जब स्त्री निम्न वर्ग की हो। पुरुषों की इस कुप्रवृति को लेखक ने उपन्यास में भी उघाड़ा है। एक दृश्य देखिए- " उसके घर में दो बद्ध हैं। वह बद्धों के लिए घास छीलने गयी थी। अक्सर वह इस काम के लिए जाती थी। नहर की पटरी पर पहले वह घास छीलती रही थी। वहाँ घास कम थी। वह फिर दूसरी ओर के खेत की मेंड पर चली गयी थी। मुल्लिज़म वहाँ पीछे से आ गया था। आस-पास उस बेला कोई और नहीं था। मुल्जिम ने अपने पास के झोले में से कट्टा निकाला और बोला कि कोई चीख-पुकार की तो गोली मार देंगे। मुल्जिम उसे पास के खेत में ले गया। वहाँ उसने उसके साथ ज़बरदस्ती बुरा काम किया।" पृ॰337

हमारी न्यायिक प्रणाली में महिलाओं के अधिकार में ढेरों नियम हैं, लेकिन न्याय की गुहार पर अपराधियों को सज़ा दिलवा पाना अभिजात्य एवं सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों के भी बूते की बात नहीं है। गरीबी का अभिशाप झेलती अबला औरत पुलिस अथवा अदालत में न्याय मे लिए दस्तक दे भी तो न्याय के बदले अपमान ही हाथ लगता है। भ्रष्ट पुलिस थानों एवं न्यायालयों का पर्दाफाश लेखक सावित्री के माध्यम से करते हैं - " जेल जितनी गंदी है, अदालत उससे कम गंदी नहीं है, खासतौर से एक औरत के लिए। और औरत अगर जवान है तो उसकी और भी शामत। अदालत के अहलमद और पेशकार ही नहीं, कानून के संरक्षक कहे जाने वाले कालाकोट धारी वकील भी अपनी-अपनी निगाह, नीयत और ज़बान की गंदगी बेशर्मी से उड़ेलते रहते हैं। वहाँ औरत उन लोगों के लिए अपनी-अपनी पीक, थूक, बलगम से मुक्ति पाने के लिए रेत से भरा रखा एक कूड़ेदान होती है।" पृ॰ 355

स्त्रियों में साक्षरता-प्रतिशत बढ़ने तथा शैक्षिक चेतना और सामाजिक जागरूकता बढ़ने पर निश्चय ही उत्पीड़न में कमी आती है। शिक्षित होने पर घरेलु हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ताकत भी आती है। सावित्री के शब्दों में - " मुझे छोड़ो कमीने छोड़ो, उसने झटका देते हुए अपने को छुड़ा लिया और फिर बिफर कर सीधी खड़ी हो गई-हाथ न लगाना अब। तू मुझे निकालना चाहता है? मैं अभी चली जांऊगी। पर मरने से पहले सबको, सारी दुनिया को बता दूंगी कि मैं क्यों मर रही हूँ? बाहर का दरवाज़ा खोलो, खोलो।" पृ॰ 310

लेकिन अधिकतर स्त्रियाँ आज भी शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होने के बावजूद शोषण एवं उत्पीड़न की दंश झेल रही हैं, क्योंकि आज भी वे लज्जा की ओट को बनाए हुए हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्त्री जाति के प्रति होने वाली हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए समाज के मनोविज्ञान को समझकर, व्यक्ति की मानसिक बनावट में परिवर्तन लाने के साथ-साथ सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे को भी बदलने की आवश्यकता है। यह काम आसान नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में पुरुष स्वेच्छा से स्त्री का सम्मान करें और उसे एक अन्य व्यक्ति की तरह बराबरी का दर्जा दें। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक मज़बूत और टिकाऊ आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। जिसमें भारी संख्या में पुरुष भी नेतृत्व करें क्योंकि यह लड़ाई केवल स्त्रियों की ही नहीं है, बल्कि पढ़े-लिखे समाजशास्त्रियों बुद्धिजीवियों, लेखकों, कवियों, कलाकारों और अध्यापकों की भी है, जो इस देश को एक सशक्त एवं समग्र राष्ट्र के रूप में उठते हुए देखना चाहते हैं।